निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

11 फाल्गुन 1930 (श0)
(सं0 पटना 50) पटना, सोमवार, 2 मार्च 2009

समाहरणालय,जहानाबाद

(जिला स्थापना शाखा)

आदेश

9 सितम्बर 2008

सं0 1044–जिला कोषागार जहानाबाद से अवैध निकासी के संबध में संलिप्तत्ता पाये जाने के बाद वित्त विभागीय संकल्प सं0-47/को0,दिनांक-25.1.1999 के आलोक में इस कार्यालय के ज्ञापांक-1536/गो0,दिनांक- 22.11. 2004 के द्वारा श्री उमाशंकर प्रसाद,सहायक लेखापाल,जिला कोषागार जहानाबाद को निलंबित करते हूए विभागीय कार्यवाही संचालित करने का आदेश दिया गया।जहानाबाद थाना कांड सं0-424/04 दिनांक- 04.11.2004 से दर्ज प्राथमिकी के अनुसार इन्हें अप्राथमिकी अभियुक्त बनाया गया है।

बिहार सरकारी सेवक नियमावली,2005 के भाग-4 के नियम-09 एवं 10 के आलोक में सात माह के अंदर आरोप पत्र गठित नहीं होने के कारण उक्त श्री उमाशंकर प्रसाद,सहायक लेखापाल के द्वारा दिये गये अभ्यावेदन के आधार पर इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक-419/स्था,दिनांक-26.7.2006 से विभागीय कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव के बिना निलंबन से मुक्त किया गया है।

कोषागार पदाधिकारी, जहानाबाद के पंत्राक-362/जि0को0,दिनांक-04.5.2006 के द्वारा श्री उमाशंकर प्रसाद,सहायक लेखापाल के विरूद्व आरोप पत्र प्राप्त हुआ हैं। प्राप्त आरोप पत्र के अनुमोदन के पश्चात् श्री अनिल कुमार वर्मा,अपर समाहर्त्ता(नक्सल) को इस कार्यालय का पंत्राक-22/मु0 स्था0, दिनांक-07.8.2006 से संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया और अभियोजन पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कोषागार पदाधिकारी,जहानाबाद को उपस्थापन पदाधिकारी के रूप कार्य करने का आदेश दिया गया।

गठित आरोपों पर आरोपी श्री उमाशंकर प्रसाद, सहायक लेखापाल द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया और सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोंपरांत संचालन पदाधिकारी का जॉच प्रतिवेदन भी प्राप्त हुआ है। जो निम्न प्रकार है:-

(1) आरोप सं0:-01

उपादान प्राधिकार-पत्र मो0-3,50,000=00(तीन लाख पचास हजार)रूपया श्री राजेन्द्र प्रसाद राय,सुपुत्र-स्व0 सकलदीप सिंह,मो0-2,72,894=00 (दो लाख बहत्तर हजार आठ सौ चौरानवे)रूपया श्री राजेन्द्र प्रसाद राय,पौत्र-स्व0 रामाधार राय तथा मो0-1,70,412=00(एक लाख सत्तर हजार चार सौ बारह) रूपया श्री राजेन्द्र प्रसाद राय,सुपुत्र स्व0 शांति देवी के नाम से भुगतान हेतु विपत्र सहायक लेखापाल के रूप मे आरोपी द्वारा हस्ताक्षर कर पारित किया गया है, जबकि तीनो प्राधिकार पत्र पर कटिंग एवं ओभर राइटिंग है।

अतएव आरोपी द्वारा अपने कर्तव्य का निर्वहन सही ढंग से नही किया गया है।फलस्वरूप मो0-7,93,306=00 (सात लाख तीरानबे हजार तीन सौ छ:) रूपये की फर्जी निकासी की गयी।

आरोपी का स्पष्टीकरण:- इस आरोप के संबध में आरोपी सहायक लेखापाल के द्वारा कारण पृच्छा दिया गया है :-

(i) कोषागार संहिता मे वर्णित विपत्र पारित करने के प्रावधानों एवं प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद ही आरोपी द्वारा इन विपत्रों को पारित करने हेतु वरीय लेखापाल के माध्यम से कोषागार पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

(ii) निर्गत प्राधिकार पत्रो में जितने कटिंग (इन्टरपोलेशन) हैं । वे सभी महालेखाकार,बिहार,पटना से निर्गत प्राधिकार पत्र मे ही हैं।कोषागार कार्यालय के स्तर से कटिंग या इन्टरपोलेशन नही किया गया है।

(iii) कटिंग पर महालेखाकार,बिहार,पटना के वरीय लेखा पदाधिकारी का लधु हस्ताक्षर है।

(iv) ऐसा निदेश नही है कि कटिंग या इंटरपोलेशन हो तो विपत्र पारित नही किया जाय।

(v) जहानाबाद कोषागार मे हुए घोटाला के प्रकाशित होने के बाद वित्त विभाग ने अपने पंत्राक- 4038(वि0)/ दिनांक 17.11.2004 से राज्य के सभी कोषागार को यह निदेश निर्गत किया कि यदि कटिंग या इन्टरपोलेशन के मामले हों तो इनका सत्यापन कराया जाय।

(vi) सेवा-निवृति लाभ के मामले में राज्य सरकार द्वारा पंत्राक-3433 (वि0)/दिनांक-18.8.2002 से विलम्ब नही किये जाने का निदेश दिया गया है।

(vii) प्राधिकार पत्र फर्जी है।

उपस्थापन पदाधिकारी-सह-कोषागार पदाधिकारी,जहानाबाद ने आरोपी के कारण पृच्छा पर अपने मंतव्य मे उल्लेख किया हैकि स्पष्टीकरण स्वीकार्य है क्योंकि कार्यालय मे संधारित नमूना हस्ताक्षर से मिलान के बाद ही विपत्रो को पारित किया गया है। कटिंग पर लघु हस्ताक्षर है।अत: सहायक लेखापाल की हैसियत से आरोपी द्वारा नियमानुसार दायित्वों का निर्वहन किया गया है।

संचालन पदाधिकारी का मंतव्य:- आरोपी के दावे पर समीक्षोपरांत यह पाया गया कि 3,50,000=00 (तीन लाख पचास हजार)रूपया का प्राधिकार-पत्र, जो श्री राजेन्द्र प्रसाद राय,पिता-स्व0 सकलदीप सिंह के नाम से प्राप्त हुआ था, उस पर सहायक लेखा पदाधिकारी,महालेखाकार कार्यालय, बिहार,पटना का हस्ताक्षर है। इनके हस्ताक्षर का नमूना कोषागार कार्यालय जहानाबाद मे उपलब्ध नही है। इस प्राधिकार पत्र को वरीय लेखा पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित किया गया है परंतु कोषागार कार्यालय मे संधारित वरीय लेखा पदाधिकारी के हस्ताक्षर के नमूना से प्राधिकार पत्र को अभिप्रमाणित करने वाले वरीय लेखा पदाधिकारी का हस्ताक्षर भिन्न है। कोषागार कार्यालय को प्राधिकार पत्र वरीय लेखा पदाधिकारी के हस्ताक्षर से प्राप्त होता है परंतु इस प्राधिकार पत्र पर सहायक लेखा पदाधिकारी का हस्ताक्षर है। अत:आरोपी को विपत्र पारित करने के पूर्व इसका सत्यापन कराना चाहिए था, जो नही किया गया। यहाँ तक कि इस प्राधिकार पत्र को जिस वरीय लेखा पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित किया गया है उनका हस्ताक्षर भी कोषागार में रक्षित हस्ताक्षर के नमूने से मेल नही खाता है। इसके अलावा प्राधिकार पत्र पर कटिंग एवं ओभर राइंटिग है, अत: विपत्र पारित करने के पूर्व प्राधिकार पत्र का सत्यापन कराना आवश्यक था, जो नही कराया गया।

इसी प्रकार 2,72,894=00 (दो लाख बहत्तर हजार आठ सौ चौरानबे)रूपया का प्राधिकार पत्र जो श्री राजेन्द्र प्रसाद राय,पौत्र-स्व रामाधार राय के नाम पर निर्गत है,पर कटींग एवं ओवर राइटिंग है जिस पर लधु हस्ताक्षर है। किसी भी वरीय लेखा पदाधिकारी के लधु हस्ताक्षर का नमूना महालेखाकार कार्यालय,बिहार,पटना द्वारा कोषागर कार्यालय जहानाबाद को नही भेजा गया है। अत: इस लधु हस्ताक्षर का मिलान कोषागार कार्यालय स्तर पर किये जाने का प्रश्न ही नही उठता है। इस प्राधिकार पत्र पर कोषागार पदाधिकारी पटना को काटकर हाथ से जहानाबाद लिखा गया है।

इस प्राधिकार पत्र मे श्री राजेन्द्र प्रसाद राय को स्व0 रामाधार राय का पौत्र बताया गया है जबकि किसी भी व्यक्ति की निश्चित पहचान उसके पिता के नाम के साथ की जाती है। इस प्रधिकार पत्र में पिता का नाम नही दर्ज कर दादा का नाम दर्ज किया जाना अपने आप मे इस प्राधिकार पत्र की प्रमाणिकता पर प्रश्न चिन्ह उत्पन्न करता है एवं जैसे ही इस प्रकार का प्राधिकार पत्र पारित करने हेतु आरोपी के समक्ष लाया गया था उसी समय उन्हें सर्तक हो जाना चाहिए था तथा प्राधिकार पत्र की प्रामणिकता की जॉच की जानी चाहिए थी, जो नही किया गया। आरोपी सहायक लेखापाल, जिन पर विपत्रों को पारित करने की कार्यालय स्तर पर जिम्मेदारी है, के द्वारा लापरवाही पूर्ण कार्य किया गया है। इसके अलावे प्राधिकार पत्र में कोषागार पदाधिकारी पटना को काटकर जहानाबाद लिखा जाना इसे और भी संदिग्ध बना देता है। अत: प्राधिकार पत्र का सत्यापन कराया जाना जरूरी था जिसे नही कराया गया।

तीसरा प्राधिकार-पत्र-1,70,412=00(एक लाख सतर हजार चार सौ बारह) रूपया का है जिसका विपत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद राय,पुत्र-स्व0 शांति देवी के नाम से है। इस प्राधिकार पत्र पर भी कटींग एवं ओभर राइटिंग है। कटिंग तथा ओभर राइटिंग करके कोषागर पदाधिकारी जहानाबाद लिखा गया है।

आरोपी द्वारा यह सत्यापित कराये जाने का प्रयास नही किया गया कि शांति देवी के पति का क्या नाम है अर्थात् श्री राजेन्द्र प्रसाद राय के पिता का क्या नाम है । अत:संदेह की गुजाइश थी तो भी आरोपी द्वारा बिना सत्यापित कराये विपत्र पारित की गयी जो उनके कार्यो के प्रति लापरवाही का परिचायक है।

अत: तीनो प्रधिकार पत्रों को संदेह की श्रेणी मे रखकर इनके सत्यापन की कार्रवाई करना आवश्यक था जो आरोपी द्वारा नही किया गया एवं बिना सत्यापित कराये विपत्र पारित की गयी जिसके फलस्वरूप फर्जी भुगतान हुआ।

आरोपी सहायक लेखापाल द्वारा अपने कारण पृच्छा में यह उल्लेख किया गया है कि जहानाबाद कोषागार मे हुए घोटाला के प्रकाशित होने के बाद वित्त विभाग ने अपने पंत्राक- 4038(वि0)/ दिनांक 17.11.2004 से राज्य के सभी कोषागार को यह निदेश निर्गत किया कि यदि कटिंग या इन्टरपोलेशन के मामले हो तो इनका सत्यापन कराया जाय। अत: इससे स्पष्ट हो जाता है कि सहायक लेखापाल की हैसियत से कार्यालय के जिम्मेदार कर्मचारी के रूप इन संदिग्ध प्राधिकार पत्रों का सत्यापन कराना आरोपी की जिम्मेवारी थी, परंतु लापरवाही पूर्ण आचरण के कारण इनके द्वारा इन संदिग्ध प्राधिकार पत्रों (जिन्हें आरोपी द्वारा अपने कारण पृच्छा मे जाली बतलाया गया है)का सत्यापन नहीं कराया गया है। यही कारण है कि वित्त विभाग को ऐसे संदिग्ध प्राधिकार पत्रो का सत्यापन कराने हेतु बाद मे निदेश निर्गत करना पड़ा।

आरोपी द्वारा अपने कारण पृच्छा मे यह उल्लेख किया गया है कि वित्त विभाग के पंत्राक-3433(वि0)/ दिनांक-16.8.2002 के आलोक मे सेवान्त लाभों के भुगतान में विलंब नही किया जाना चाहिए, परंतु वित्त विभाग का प्रासांगिक पत्र आरोपी को यह अधिकार नहीं देता है कि प्राधिकार पत्र की समुचित जॉच या सत्यापन कराये बिना फर्जी भुगतान किया जाय।

उपरोक्त परिपेक्ष्य में स्पष्ट है कि आरोपी द्वारा उपर वर्णित तीनों प्राधिकार पत्रों का सत्यापन सम्यक रूप से नही कराया गया जिसके फलस्वरूप फर्जी भुगतान हुआ। अत: आरोपी द्वारा 7,93,306=00 (सात लाख तीरानबे हजार तीन सौ छ:)रूपया का विपत्र पारित कर भुगतान किया जाना अवैध है। आरोपी एवं उपस्थापन पदाधिकारी का तर्क स्वीकार करने योग्य नही है। यह आरोप आरोपी पर पुरी तरह से प्रमाणित होता है।

(2)-आरोप सं0:-02

आरोपी द्वारा पूर्व अंकेक्षित विपत्र मो0 2,69,662=00 (दो लाख उनहत्तर हजार छ सौ बारसठ)रूपया श्री राजेन्द्र प्रसाद राय, पिता-स्व0 सकलदीप सिंह के नाम से भुगतान हेतु लेखापाल के रूप मे पारित किया गया है,जिसे महालेखाकार बिहार,पटना द्वारा अवैध निकासी माना गया है।

आरोपी द्वारा अपने कारण पृच्छा मे कहा गया है कि इस विपत्र को पारित करने में उनकी भूमिका लेखापाल की थी एवं कोषागार संहिता भाग-1 के नियम-60 का पालन करते हुए उनके द्वारा विपत्र पारित करने की अनुशंसा की गयी है। आरोपी द्वारा अपने कारण पृच्छा मे यह भी उल्लेख किया गया है कि इस प्राधिकार पत्र पर श्री एस0डब्लू0रज्जा, वरीय लेखा पदाधिकारी,बिहार,पटना का हस्ताक्षर है जिसे उनके द्वारा श्री यू0एस0प्रसाद,उप महालेखाकार,बिहार,पटना के समक्ष पहचान कर संपुष्टि की गयी।

उपस्थापन पदाधिकारी द्वारा आरोपी के कारण पृच्छा पर यह मंतव्य दिया गया है कि स्पष्टीकरण स्वीकार्य है क्योंकि कार्यालय में संधारित नमूना हस्ताक्षर से मिलान करने के बाद अग्रेतर कारवाई की गयी। प्राधिकार पत्र मे कतिपय त्रृटियों के निराकरण हेतु महालेखाकार,बिहार,पटना से पत्राचार किया गया जिसका निराकरण करते हुए महालेखाकार के द्वारा जहानाबाद कोषागार को पत्र भेजा गया। तदोपरांत पूर्ण संतुष्टि के उपरांत नियमानुसार इनके द्वारा संबधित विपत्र पारित किया गया।

संचालन पदाधिकारी का मंतव्य:- कोषागार कार्यालय जहानाबाद द्वारा दिखलाये गये कागजातों के समीक्षोपरांत यह पाया गया कि तीन प्राधिकार पत्रों के द्वारा कुल-2,69,662=00 (दो लाख उनहत्तर हजार छः सौ बासठ)रूपया श्री राजेन्द्र प्रसाद राय, पिता-स्व0 सकलदीप सिंह के नाम से प्राप्त हुआ था।इनमे से 1,70,930=00 (एक लाख सत्तर हजार नौ सौ तीस) रूपया के प्राधिकार पत्र पर विकलनीय लेखा शीर्ष अंकित नही रहने के कारण कोषागार पदाधिकारी,जहानाबाद द्वारा अपने पंत्राक-53/को0,दिनांक 20.1.2003 से महालेखाकार,बिहार के कार्यालय से पृच्छा की गयी जिसके आलोक मे महालेखाकार कार्यालय,पटना द्वारा क्रमांक जी.ई.5-1999,दिनांक-22.01.2003 से विकलनीय शीर्ष की जानकारी दी गयी, परंतु इस पत्र पर जिस वरीय लेखा पदाधिकारी का हस्ताक्षर हिन्दी मे है, उसे कोषागार कार्यालय मे रक्षित हस्ताक्षर के नमूना से मिलान करने पर पाया गया कि यह हस्ताक्षर भिन्न है। इसके अलावा 72,412=00 (बहत्तर हजार चार सौ बारह)रूपया एवं 26,320=00 (छबीस हजार तीन सौ बीस)रूपया का अन्य दो प्राधिकार पत्रों पर वरीय लेखा पदाधिकारी का हस्ताक्षर कोषागार कार्यालय मे रक्षित हस्ताक्षर के नमूना से भिन्न पाया गया। अतः आरोपी लेखापाल को इन तीनों प्राधिकार पत्रो को संदेह के दायरे में रख कर इनका सत्यापन कराना चाहिए था परंतु आरोपी द्वारा ऐसा नहीं किया गया। आरोपी द्वारा यह कहा जाना कि वरीय लेखा पदाधिकारी श्री एस0डब्लू0रज्जा ने अपने हस्ताक्षर की पहचान कर संपुष्टि की स्वीकार नही किया जा सकता है क्योकि इस संबध में इनकी स्वीकारोक्ति से संबधित साक्ष्य आरोपी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सका है।

अतः इन प्राधिकार पत्रो के आधार पर 2,69,662=00 (दो लाख उनहतर हजार छः सौ बारसठ)रूपया का भुगतान किया गया जिसे फर्जी भुगतान पाया गया। इसके लिए आरोपी लेखापाल दोषी हैं। अतः यह आरोप इन पर प्रमाणित होता हैं।

आरोप सं0:-03

उपादान प्राधिकार पत्र 3,38,712=00 (तीन लाख अड़तीस हजार सात सौ बारह) रूपया, लधुकरण प्राधिकार पत्र 3,71,790=00(तीन लाख एकहत्तर हजार सात सौ नब्बे)रूपया एवं पेंशन मद में 6,13,235=00 (छः लाख तेरह हजार दो सौ पैतीस)रूपया का श्री हंसराज सिंह,कार्यपालक अभियंता के नाम से भुगतान हेतु सहायक लेखापाल के रूप में आरोपी द्वारा विपत्र पारित किया गया है जबकि उपादान प्राधिकार पत्र पर कटींग एवं ओभर राइटिंग है तथा लधुकरण एवं पेंशन प्राधिकार पत्र पर वरीय लेखा पदाधिकारी का हस्ताक्षर महालेखाकार, बिहार,पटना द्वारा जाली करार दिया गया है।

अतः आरोपी द्वारा सहायक लेखापाल के रूप में कर्तत्य का निर्वहन ठीक से नही किया गया है जिसके फलस्वरूप मो0 13,23,737=00(तेरह लाख तेइस हजार सात सौ सैतीस)रूपया का फर्जी भुगतान हुआ।

आरोपी का स्पष्टीकरण:- इस संबध में आरोपी ने कारण पृच्छा दिया है कि इनके द्वारा सभी नियमों का पालन करते हूए विपत्र पारित करने की अनुशंसा की गयी है। आरोपी द्वारा अपने कारण पृच्छा में आगे यह उल्लेख किया गया है कि श्री हंसराज सिंह के पक्ष मे निर्गत 3,38,712 =00 (तीन लाख अडतीस हजार सात सौ बारह) रूपया के उपादान प्राधिकार पत्र की मूल प्रति कोषागार सचिवालय को जाना चाहिए था,लेकिन महालेखाकार बिहार के कार्यालय मे रचे गये षंडयत्र के कारण इसे अन्य प्राधिकार पत्रों के साथ निर्गमन की सम्पूष्टि पत्र के साथ जहानाबाद कोषागार को भेज दिया गया। यहाँ तक कि जब कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय निर्माण भवन द्वारा महालेखाकार,बिहार को संबधित प्राधिकार पत्र प्राप्त नहीं होने संबधी पत्र प्रेषित किया गया तो महालेखाकार कार्यालय द्वारा इस प्राधिकार पत्र के गुम होने की सूचना राज्य के अन्य कोषागारों को दी जानी चाहिए थी,ताकि उसके भुगतान पर रोक लगायी जा सके।

आरोपी द्वारा अपने कारण पृच्छा में आगे यह उल्लेख किया गया हैकि हंस राज सिंह के पेंशन प्राधिकार पत्र के साथ एक अभ्युक्ति पत्र भेजा गया जिसमें यह कहा गया था कि power failure के कारण हस्तलिखित प्राधिकार पत्र भेजा जा रहा है एवं मामला माननीय उच्च न्यायालय से संबधित है अतः तुंरत भुगतान किया जाय।

उपस्थापन पदाधिकारी द्वारा आरोपी के कारण पृच्छा पर अपना मंतव्य दिया गया है कि इनका स्पष्टीकरण को स्वीकार्य है क्योंकि कार्यालय मे संधारित नमूना हस्ताक्षर से मिलान करने के बाद ही संबधित विपत्रों को पारित किया गया।

संचालन पदाधिकारी का मंतव्य:- कोषागार कार्यालय की संचिका में रखे गये प्राधिकार पत्रों का अवलोकन करने पर पाया गया कि 3,38,712=00 (तीन लाख अडतीस हजार सात सौ बारह)रूपया के उपादान प्राधिकार पत्र में कटींग एवं ओभर राइटिंग है। इस उपादान प्राधिकार पत्र में अंकित कोषागार को काटकर हाथ से जहानाबाद लिख गया है तथा इसमें अन्य कई जगह कटिंग एंव ओभर राइटिंग है जिससे इस उपादन प्राधिकार पत्र की प्रमाणिकता संदिग्ध हो जाती है। अत: सहायक लेखापाल के रूप में आरोपी के लिए इस प्राधिकार पत्र का सत्यापन कराना आवश्यक था परंतु उनके द्वारा इसका सत्यापन नही कराया गया। यदि इस प्राधिकार पत्र का सत्यापन कराया गया होता तो इससे संबधित वास्तविकता सामने आ जाती। अत: इस उपादान प्राधिकार पत्र के संदर्भ में आरोपी सहायक लेखापाल द्वारा कारण पृच्छा में जो तर्क दिया गया है, वह स्वीकार करने योग्य नही है।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि इस उपादान प्राधिकार पत्र पर अंकित है " As per W.R.D. letter no-336/dated 05.5.2003 Pension is not sanctioned and not admissible to shri H.R.Singh,Retd.EX.Eng,W.R.D, patna." जब श्री हंसराज सिंह को पेंशन प्रदान करने योग्य नहीं था तो उनके लिए उपादान मद में 3,38,712=00 (तीन लाख अड़तीस हजार सात सौ बारह)रूपया, लधुकरण मद में 3,71,790=00 (तीन लाख एकहतर सात सौ नब्बे)रूपये एवं पेंशन मद मे 6,13,235=00 (छ:लाख तेरह हजार दौ पैतीस) रूपया का प्राधिकार पत्र प्राप्त होना स्वत: संदेह उत्पन्न करता है जिसका सत्यापन कराना आवश्यक था।

अत: इन तीनों प्राधिकार पत्रों का सत्यापन कराने के बाद ही इससे संबधित पारित किया जाना चाहिए था जो आरोपी सहायक लेखापाल द्वारा नही किया गया।

इसके अलावा उल्लेखनीय है कि 3,71,790=00 (तीन लाख एकहतर सात सौ नब्बे)रूपया का लधुकरण प्राधिकार पत्र तथा 6,13,235=00 (छ:लाख तेरह हजार दौ पैतीस) रूपया का पेंशन प्राधिकार पत्र पर जिस वरीय लेखा पदाधिकारी का हस्ताक्षर है,उनके हस्ताक्षर का नमूना महालेखाकार, बिहार,पटना के जिस पत्र से भेजा गया है ,उस पत्र पर जिस वरीय लेखा पदाधिकारी का हस्ताक्षर है, उनके हस्ताक्षर का नमूना कोषागार कार्यालय, जहानाबाद मे उपलब्ध नहीं है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि इस पत्र को जिस उप महालेखाकार(प्रशासन) द्वारा अभिप्रमाणित किया गया है ,उनके हस्ताक्षर का भी नमूना कोषागार कार्यालय जहानाबाद मे उपलब्ध नहीं है। अत: आरोपी द्वारा प्राधिकार पत्र पर मौजूद वरीय लेखा पदाधिकारी के हस्ताक्षर का मिलान जिस रक्षित हस्ताक्षर से किया गया, उसकी प्रामणिकता ही संदिग्ध है। ऐसी स्थिति मे आरोपी द्वारा प्राधिकार पत्रो पर वरीय लेखा पदाधिकारी के हस्ताक्षर को सहज रूप से सही मान लेना उनके द्वारा अपने कार्यो के संपादन मे लापरवाही का परिचायक है।

लधुकरण एवं पेंशन प्राधिकार पत्रों पर वरीय लेखा पदाधिकारीके हस्ताक्षर को महालेखाकार बिहार,पटना द्वारा जाली करार दिया गया है।

आरोपी द्वारा अपने कारण पृच्छा में यह उल्लेख किया गया है कि हंसराज सिंह के पेंशन प्राधिकार पत्र के साथ एक अभ्युक्ति पत्र भेजा गया था जिसमें यह कहा गया था कि power failure के कारण हस्तलिखित प्राधिकार पत्र भेजा जा रहा है एवं मामला माननीय उच्च न्यायालय से संबधित है, अत: तुंरत भुगतान किया जाय। इस संदर्भ में यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि लधुकरण एवं पेंशन प्राधिकार पत्र पर जिस वरीय लेखा पदाधिकारी के हस्ताक्षर को महालेखाकार,बिहार,पटना द्वारा जाली करार दिया गया है, उसी वरीय लेखा पदाधिकारी का हस्ताक्षर इस पत्र पर अंकित है,अत: इस हस्ताक्षर की प्रमाणिकता भी संदिग्ध हो जाती है। इसके अलावा इसके उपर हाथ से केवल Court case लिखा हुआ है,इसका अर्थ यह नही हो सकता हैकि यह मामला माननीय उच्च न्यायालय से संबधित है,अत: तुरंत भुगतान किया जाय। यदि यह मामला माननीय उच्च न्यायालय से संबधित भी रहता तब भी बिना समुचित जाँच एवं सत्यापन के फर्जी भुगतान करना गलत होता।

अत: उपरोक्त परिपेक्ष्य से यह स्पष्ट है कि आरोपी द्वारा तीनों प्राधिकार पत्रों की जाँच सम्यक रूप से नही की गयी तथा इनका सत्यापन भी नही कराया गया,जिसके फलस्वरूप फर्जी भुगतान हुआ।अत: आरोपी द्वारा पारित मे0

13,23,737=00 (तेरह लाख तैइस हजार सात सौ सैतीस)रूपया की फर्जी निकासी की गयी। आरोपी एवं उपस्थापन पदाधिकारी का तर्क स्वीकार करने योग्य नही है।

अत: यह आरोप आरोपी पर पुरी तरह प्रमाणित होता है।

आरोप संख्या:-04

आरोपी द्वारा सहायक लेखापाल के रूप मे उपादान प्राधिकार पत्र मो0 3,50,000ञ00 (तीन लाख पचास हजार)रूपया एवं पेशन प्राधिकार पत्र मो0 1,03,069ञ00 (एक लाख तीन हजार उनहत्तर)रूपया श्रीमती इन्द्रपड़ी देवी,सुपुत्री स्व0 महेन्द्र झा,भूतपूर्व शिक्षक के नाम से भुगतान हेतु विपत्र पारित किया गया।

श्रीमती इन्द्रपड़ी देवी का पेंशन प्राधिकार पत्र पी0पी0ओ0 एवं उपादान प्राधिकार पत्र पर वरीय लेखा पदाधिकारी के हस्ताक्षर को महालेखाकार कार्यालय, बिहार द्वारा जाली करार दिया गया है। फलस्वरूप मो0 4,53,069=00 (चार लाख तीरपन हजार उनहत्तर) रूपया की फर्जी निकासी की गयी है। अतएव आरोपी द्वारा सहायक लेखापाल के रूप मे कर्तव्य का निर्वहन ठीक से नही किया गया है।

आरोपी का स्पष्टीकरण:- आरोपी द्वारा अपने कारण पृच्छा मे यह उल्लेख किया गया है कि इन्द्रपड़ी देवी के उपादान एवं पेशन संबधि कागजातों के भुगतान संबधि सभी प्रक्रिया अपनाने के बाद पैतृक विभाग से प्राप्त प्रमाण-पत्र में कतिपय त्रुटियां पाये जाने के बाद पैतृक विभाग से पत्राचार किया गया एवं त्रुटियों के निराकरण के बाद ही विपत्र पारित करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गयी।इसी बीच महालेखाकार कार्यालय ने अपने वरीय लेखा पाल श्री राजेन्द्र बिन्द के माध्यम से इन्द्रपड़ी देवी के संपूर्ण पेंशन कागजातों को मँगा लिया। बाद में उन्हीं लेखा पदाधिकारी के हस्ताक्षर से श्रीमती इन्द्रपड़ी देवी के पेंशन आदि भुगतान संबधी आदेश प्राप्त हुआ। जब कोषागार कार्यालय ने महालेखाकार कार्यालय को पेंशन संबधि कागजात अनुपलब्ध रहने की जानकारी दी,,तब महालेखाकार कार्यालय द्वारा श्रीमती इन्द्रपड़ी देवी के पेंशन संबधि प्राधिकार पत्र की द्वितीयक प्रति भेजी गयी जिसका सत्यापन कराने के बाद भुगतान की कारवाई की गयी।

आरोपी के कारण पृच्छा पर उपस्थापन पदाधिकारी द्वारा यह मंतव्य दिया गया है कि स्पष्टीकरण स्वीकार्य है क्योंकि संबधित पेंशनर के प्राधिकार पत्र की जॉच करायी गयी एवं महालेखाकार,बिहार,पटना द्वारा पुष्टि किये जाने के बाद ही विपत्र को पारित किया गया है।

संचालन पदाधिकारी का मंतव्य-इन दोनों प्राधिकार पत्रों की समीक्षा के दौरान आरोपी या उपस्थापन पदाधिकारी द्वारा आरोपी के कारण पृच्छा में वर्णित तथ्यों की संपुष्टि हेतु कोई कागजात नहीं दिखलाया गया।

इन दोनो प्राधिकार पत्रों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इन पर जिस वरीय लेखा पदाधिकारी का हस्ताक्षर है उनके हस्ताक्षर का नमूना महालेखाकार बिहार,पटना के जिस पत्र से भेजा गया है उस पत्र पर जिस वरीय लेखा पदाधिकारी का हस्ताक्षर है,उनके हस्ताक्षर का नमूना कोषागार कार्यालय जहानाबाद मे उपलब्ध नहीं है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि इस पत्र को जिस उप महालेखाकार(प्रशासन) द्वारा अभिप्रमाणित किया गया है, उनके हस्ताक्षर का भी नमूना कोषागार कार्यालय जहानाबाद मे उपलब्ध नहीं है। अत: आरोपी द्वारा प्राधिकार पत्र पर मौजूद वरीय लेखा पदाधिकारी के हस्ताक्षर का मिलान जिस रक्षित हस्ताक्षर से किया गया उसकी प्रामणिकता ही संदिग्ध है। ऐसी स्थिति मे आरोपी द्वारा प्राधिकार पत्रों पर वरीय लेखा पदाधिकारी के हस्ताक्षर को सहज रूप से सही मान लेना उनके द्वारा अपने कार्यो के संपादन मे लापरवाही का परिचायक है।

अत: उपर वर्णित तथ्यो से स्पष्ट होता है कि आरोपी द्वारा प्राधिकार पत्रों का सत्यापन समुचित रूप से नही कराया गया जिसके फलस्वरूप 4,53,069=00 (चार लाख तीरपन हजार उनहत्तर)रूपया का फर्जी भुगतान हुआ। आरोपी एवं उपस्थापन पदाधिकारी का तर्क स्वीकार करने योग्य नही है। अत: यह आरोप आरोपी पर पूरी तरह प्रमाणित होता है।

(5) आरोप सं0 05

आरोपी द्वारा सहायक लेखापाल के रूप मे उपादान प्राधिकार पत्र 2,50,000=00(दो लाख पचास हजार)रूपया का विपत्र श्री राजेश कुमार,सुपुत्र स्व0 नंदकिशोर प्रसाद के नाम से भुगतान हेतु पारित किया गया जिसमे कटिंग एंव ओभर राइटिंग है, जिसे महालेखाकार,बिहार द्वारा फर्जी निकासी करार दिया गया है।

अतएव आरोपी द्वारा सहायक लेखापाल के रूप मे अपने कर्तव्य का निर्वहन ठीक से नही किया गया है जिसके फलस्वरूप 2,50,000=00 (दो लाख पचास हजार)रूपया की फर्जी निकासी की गयी है।

आरोपी दिनांक 13.11.2004 से अपने कार्यालय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे तथा आलमारियों की चाभी एवं बज्रगृह (स्टाम्प) की चाभी कार्यालय को समर्पित नहीं किये जिससे कार्यालय कार्य संपादन मे बाधा हुई।

इस आरोप के संबध मे आरोपी द्वारा कारण पृच्छा दिया गया है कि पूरी प्रक्रिया अपना कर ही आरोपी द्वारा विपत्र को पारित करने की अनुशंसा की गयी है।

जहॉ तक 13.11.2004 से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने का आरोप है इस संबध में आरोपी द्वारा अपने कारण पृच्छा में यह उल्लेख किया गया है कि इनके द्वारा दिनांक 13.11.2004 से 21.11.2004 तक अपने अस्वस्थता के कारण आवेदन पत्र कार्यालय में समर्पित किया गया था तथा उक्त अवधि का कार्य अवधि का वेतन का भुगतान इन्हें कोषागार कार्यालय द्वारा किया जा चुका है।

आरोपी द्वारा अपने कारण पृच्छा में आगे यह उल्लेख किया गया है कि यह आरोप निराधार एंव भ्रामक है कि इनके द्वारा बज्रगृह की चाभी नही सौपी गयी। इन्होनें अपने कारण पृच्छा में यह उल्लेख किया है कि इनके द्वारा अपनी अस्वस्थता के कारण बज्रगृह की चाभी अपने पुत्र के माध्यम से भेजी गयी,परंतु तत्कालीन जिला पदाधिकारी के निवास पर कार्यरत O.S.D. श्री अरविंद कुमार झा एवं तत्कालीन कोषागार पदाधिकारी श्री अक्षय कांत झा द्वारा अधिवक्ता श्री प्रभु कुमार सिन्हा के समक्ष इसे प्राप्त करने से इनकार किया गया।

आरोपी के कारण पृच्छा पर उपस्थापन पदाधिकारी द्वारा यह मंतव्य दिया गया कि स्पष्टीकरण स्वीकार्य है क्योंकि पेंशनर के प्राधिकार पत्र पर उपलब्ध लेखा पदाधिकारी के हस्ताक्षर का मिलान कार्यालय में संधारित नमूना हस्ताक्षर से करने के बाद ही विपत्र को पारित किया गया। इन्होंने अपने मंतव्य में आगे यह उल्लेख किया है कि तत्कालीन कार्यालय कर्मियों से पूछ-ताछ के उपरांत ज्ञात हुआ कि श्री उमाशंकर प्रसाद द्वारा अपने अस्वस्थता के कारण अपने घर से चाभी कोषागार में भेजी गयी थी जिसे तत्कालीन कोषागार पदाधिकारी द्वारा प्राप्त करने से इनकार कर दिया गया था। उपस्थापन पदाधिकारी द्वारा आगे यह उल्लेख किया गया है कि श्री उमाशंकर प्रसाद के स्पष्टीकरण से ज्ञात होता है कि अपने दायित्वों के निर्वाहन हेतु पुनः इनके द्वारा संबधित चाभी अपने पुत्र के माध्यम से तत्कालीन जिला पदाधिकारी के निवास पर कार्यरत O.S.D. श्री अरविंद कुमार झा के पास भेजी गयी जिसे प्राप्त करने से इन्होंने भी इनकार कर दिया।

उपस्थापन पदाधिकारी द्वारा अपने मंतव्य में आगे यह उल्लेख किया गया है कि उपरोक्त परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर सामान्य सुझ-बुझ (Common parlance) से निष्कर्ष सहजता से प्राप्त किया जा सकता है कि जब श्री प्रसाद द्वारा चाभी को कोषागार में भेजा जाना प्रमाणित है तब यह भी स्वीकार योग्य है कि उनके द्वारा तत्कालीन जिलाधिकारी के निवास पर कार्यरत O.S.D. श्री अरविंद कुमार झा के पास चाभी अवश्य भेजी गयी होगी एवं वहॉ भी इनकार किये जाने के कारण चाभी समर्पित नही की जा सकी होगी। ज्ञातव्य है कि कार्यालय की चाभी महत्वपूर्ण संपत्ति है जिसे बिना प्राप्ति रसीद प्राप्त किये किसी अन्य कर्मी को नही दी जा सकती है,अतः इस परिपेक्ष्य में भी श्री प्रसाद का स्पष्टीकरण स्वीकार्य योग्य है।

समीक्षोपरांत यह पाया गया कि इस प्राधिकार पत्र पर भी कटिंग एवं ओभर राइटिंग है फिर भी बिना इसका सत्यापन कराये इसे पारित किया गया जिसके फलस्वरूप फर्जी भुगतान हुआ।

यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि इस प्राधिकार पत्र पर हाथ से लिखा गया हैं कि राजेश कुमार इस विपत्र की राशि प्राप्त करने के बाद आधी राशि अपने छोटे भाई श्री राकेश कुमार को दे देंगें। हाथ से इस तरह की अभियुक्ति अंकित करना प्राधिकार पत्र की प्रामणिकता संदिग्ध बना देता हैं। अतः प्राधिकार पत्र का सत्यापन कराना आवश्यक था।उपर वर्णित तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि आरोपी द्वारा फर्जी भुगतान में सहभागिता दी गयी जिसके लिए वे पूर्णतः दोषी है।

अतः यह आरोप भी इन पर प्रमाणित होता है।

जहॉ तक 13.11.2004 से अनाधिकृत अनुपस्थिति तथा आलमारियों की चाभी एवं बज्रगृह (स्टाम्प) की चाभी कार्यालय में समर्पित नहीं करने का आरोप हैं इस संबध में आरोपी के कारण पृच्छा पर उपस्थापन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत हुआ जा सकता हैं। अतः यह आरोप प्रमाणित नही होता है।

संचालन पदाधिकारी से जॉच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर इस कार्यालय के ज्ञापांक-401/स्था0, दिनांक 5.4.2008 से संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन की छाया प्रति संलग्न करते हूए एक पक्ष के अंदर द्वितीय कारण पृच्छा की मॉग की गयी।

आरोपी द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित किया गया जिसमें निम्नलिखित बिन्दुओं का उल्लेख किया गया है:-

संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोपी को अपने कक्ष मे सुनवाई के समय डॉट-डपट कर मानसिक रूप से विचलित कर दिया गया तथा आरोपी को अपना पक्ष सही ढंग से रखने नही दिया गया।

संचालन पदाधिकारी द्वारा उपस्थापन पदाधिकारी के मंतव्य पर कोई घ्यान नहीं दिया गया।

संचालन पदाधिकारी द्वारा Speaking Order नही दिया गया है।

संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने जॉच प्रतिवेदन मे Judicious mind का apply नही किया गया है।आरोप के संबध में सतही निष्कर्ष निकाला गया है।

संचालन पदाधिकारी द्वारा इस बिन्दु पर घ्यान नही दिया गया है कि स्वयं कोषागार पदाधिकारी ,जहानाबाद ने अपने पंत्राक 1451 दिनांक-8.11.2004 से महालेखाकार,बिहार,पटना का घ्यान इस फर्जीवाड़ की ओर आकृष्ट किया है।

संचालन पदाधिकारी द्वारा कई हस्ताक्षर को मूल हस्ताक्षर से भिन्न मान लिया गया,जबकि वे हस्ताक्षर मिलाने के विशेषज्ञ(EXpert)नही माने जा सकते है। उन्होंने मात्र संशय के आधार पर अपना प्रतिवेदन दिया है।

आरोप सं0-01 के संबध में कहा गया है कि आरोपी द्वारा अपेक्षित कार्रवाई के पश्चात ही विपत्र का भुगतान की कारवाई की गयी।

आरोप सं0-02 के संबध में आरोपी का कहना है कि इनकी भूमिका लेखापाल की है परंतु संचालन पदाधिकारी ने यह भी जानने का प्रयास नहीं किया गया कि विपत्र को पारित करने में सहायक लेखापाल की भूमिका किसने निभाई है। दावाकर्ता का पहचान सुनिश्चित करने हेतु अपेक्षित कारवाई की गई है। विपत्र को पारित करने में कोषागार संहिता के भाग-01 के नियम-60 में दिये निदेशों का पालन किया गया है।

आरोप सं0-3 के संबध में कहा गया है कि हंसराज सिंह के फोटो की अभिप्रमाणित प्रति प्राप्त की गयी है। उनके हस्ताक्षर एवं फोटो को प्र0 पशुपालन पदाधिकारी,घोसी द्वारा प्रमाणित किया गया है। संचालन पदाधिकारी ने महालेखाकार ,बिहार,पटना के द्वारा दिये गये मंतव्य पर विश्वास कर लिया गया है। महालेखाकार द्वारा भेजे गये पेंशन एवं प्राधिकार पत्र को जाली मान लिया गया।

आरोप सं0-4 में श्री मति इन्द्रपडी देवी को 4,53,069.00 रूपये का फर्जी भुगतान कर दिया गया है।इस संबध में पैतृक विभाग एवं महालेखाकार कार्यालय से पृच्छा किया गया है एवं इन्द्रपडी देवी की P.P.O के निर्गम की संपुष्टि भी की गयी है। इसी तरह अपेक्षित कार्रवाई की गयी है।

आरोप सं0-5 श्री राजेश कुमार,सुपुत्र-स्व0 राजेश प्रसाद को मो0-2,50,000.00 रू0 की जॉच की पुरी प्रक्रियाअपनायी गयी है। अंत में इनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि पूरे प्रकरण को न्यायिक प्रक्रिया को छोड़ दिया जाना चाहिए क्योंकि यह मात्र विभागीय मामला नहीं है। इन पूरे प्रकरण की पीछे घोखाधड़ी का मामला होने की पुरी संभावना है जिसका निर्णय न्यायिक प्रक्रिया के अधीन ही किया जा सकता है।

श्री उमाशंकर प्रसाद,सहायक लेखापाल के द्वारा दिये गये द्वितीय कारण पृच्छा पर संचालन पदाधिकारी से इस कार्यालय के पंत्राक 551 दिनांक-10.5.2008 एवं 646, दिनांक 03.06.08 से आत्मभारित मंतव्य की मॉग की गई है ।

संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने पंत्राक 123/नजा0,दिनांक 5.7.08 से आत्मभारित मंतव्य दिया गया है। संचालन पदाधिकारी द्वारा दिये गये मंतव्य के आलोक में आरोपी के विरूद्व गठित आरोपों की समीक्षा की गयी।

संचालन पदाधिकारी द्वारा मंतव्य दिया गया है कि संचालन पदाधिकारी के रूप में आरोपी के विरूद्व विभागीय कार्यवाही का पुलिस अनुसंधान एवं न्यायिक कार्रवाई के तहत की गयी कारवाई से कुछ लेना-देना नही है।

संचालन पदाधिकारी ने अपने मंतव्य में यह उल्लेख किया है कि प्रमाणित आरोपों से बचने के लिए आरोपी द्वारा मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालने का प्रयास किया जा रहा है। यदि वे संचालन पदाधिकारी के व्यवहार एवं कार्यशैली से विक्षुब्ध थे तो इसकी जानकारी तुंरत जिला पदाधिकारी का देनी चाहिए थी।

उपस्थापन पदाधिकारी-सह कोषागार पदाधिकारी,जहानाबाद के द्वारा प्रथम कारण पृच्छा पर दिया गया मंतव्य बिल्कुल टेबुल रिपोर्ट है यदि उपस्थापन पदाधिकारी का मंतव्य तथ्य से या प्रमाणिकता से परे है तो उसे स्वीकार करना संचालन पदाधिकारी की बाध्यता नही है।

Speaking Order नही देने के तथा Judicious mind apply नही के संबध में संचालन पदाधिकारी द्वारा मंतव्य दिया गया है कि प्राप्त सभी समपिर्त कारण पृच्छा पर संचालन पदाधिकारी द्वारा दिये गये मंतव्य के विश्लेषण के समीक्षोंपरांत उपस्थापित साक्ष्य के अनुरूप स्पष्ट जॉच प्रतिवेदन दिया गया है।

संचालन पदाधिकारी द्वारा यह मंतव्य दिया गया है कि आरोपों मे काट-कुट (Over Writing) वाले प्राधिकार पत्रों को महालेखाकार बिहार,पटना द्वारा फर्जी माना गया है।

अत: इन प्राधिकार पत्रों का समुचित सत्यापन कराने के पश्चात् ही पारित कराने अथवा भुगतान कराने की कारवाई की जानी थी।

कोषागार पदा0 के पत्रांक 1451 दिनांक 8.11.2004 से महालेखाकार, पटना का घ्यान इस फर्जीवाडों के संबंध में आकृष्ट करने के संबंध में संचालन पदा0 द्वारा यह मंतव्य दिया गया कि कोषागार पदा0 के द्वारा यह पत्र तब लिखा गया जब महालेखाकार द्वारा इस घोटाले का पर्दाफाश किया जा चुका था तथा प्राथमिकी दर्ज किये जाने की स्थिति थी। अत: घोटाले को रोकने की नीयत से नहीं, अपने को घोटाले से Shield करने के नियत से यह पत्र लिखा गया है।

संचालन पदाधिकारी द्वारा यह मंतव्य दिया गया है कि प्राधिकार पत्र पर महालेखाकार के पदाधिकारी के हस्ताक्षर का नमूना से मिलान करना आरोपी का मुख्य कर्तव्य था जिसे वे किसी भी कीमत पर Ignore नही कर सकते है। जिस पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत प्राधिकार पत्र से लाखों रूपये का भुगतान किया जाना है,उस पदाधिकारी का हस्ताक्षर सही है अथवा नही,इस संबध में आरोपी को आश्वस्त हो लेना आवश्यक था। प्राधिकार पत्रो पर पदाधिकारी के हस्ताक्षर को महालेखाकार द्वारा जाली करार दिया गया है।

आरोपी द्वारा संचालन पदाधिकारी को हस्ताक्षर मिलाने के विशेषज्ञ(EXpert)कहे जाने पर संचालन पदाधिकारी द्वारा मंतव्य में उल्लेख किया गया है कि जॉच के क्रम में प्रथम दृष्टया हस्ताक्षर के नमूना से मिलान करने पर भिन्न पाया गया। स्वंय महालेखाकार द्वारा प्राधिकार पत्रो पर पदाधिकारी के हस्ताक्षर को जाली करार दिया गया है।

अत: ऐसे स्थिति में आरोपी का तथ्य महत्वहीन हो जाता है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

संचालन पदाधिकारी द्वारा पुन: आरोपवार मंतव्य दिया गया जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है:-

आरोप:-1 के संबध में आरोपी द्वारा दिये गये प्रथम कारण पृच्छा तथा उस पर उपस्थापन पदाधिकारी के मंतव्य को घ्यान में रखते हूए तथ्यात्मक एवं विस्तृत जॉच प्रतिवेदन के समर्पित किया गया है। महालेखाकार द्वारा तीनो प्राधिकार पत्र के आधार पर मो0-7,93,306.00 (सात लाख तिरानवे हजार तीन सौ छ:) रूपये के भुगतान के संबध मे स्वीकार किया गया है कि फर्जी भुगतान हुआ है। राशि का भुगतान खाता के माघ्यम से न करके नगद किया जाना आरोपी के विरूद्व फर्जी भुगतान में संलिप्तता के आरोप को और ठोस बनाता है।

आरोप सं0-02:- आरोप सं0-2 मे वर्णित जाली प्राधिकार पत्रों के आधार पर 2,69,662.00 (दो लाख उनहतर हजार छ: सौ बासठ) रूपये का फर्जी भुगतान किया गया है इन प्राधिकार पत्रों को पारित करने में आरोपी की भूमिका लेखापाल की रही है। इन्होने अपनी भूमिका लेखापाल की बताकर अपने आप को अप्रत्यक्ष रूप में निर्दोष प्रमाणित करने का प्रयास किया है लेकिन अन्य आरोपों जिसमें वर्णित जाली प्राधिकार पत्रों को पारित करने में आरोपी की भूमिका सहायक लेखापाल की रही है उसमें भी आरोपी द्वारा अपने को निर्दोष बतलाने का प्रयास किया गया है। लेखापाल हो या सहायक लेखापाल हो, दोनों की जिम्मेवारी होती है कि प्राधिकार पत्रों की सघन जांच कर पूर्ण रूप से आश्वस्त होने की बाद ही विपत्र पारित करे ताकि फर्जी भुगतान नहीं हो। महालेखाकार द्वारा आरोप संख्या दो में वर्णित प्राधिकार पत्रों के आधार पर भुगतान की गयी राशि को अवैध माना गया है।

आरोप सं0- 3 :- इस संबंध में तथ्यात्मक एवं विस्तृत जांच प्रतिवेदन पूर्व में दिया जा चूका है। आरोपी द्वारा अपने कर्तव्य का सही ढंग से र्निवहन नहीं करने के कारण 13,23,737.00 (तेरह लाख तेइस हजार सात सौ सैंतीस रू0 मात्र) का फर्जी भुगतान किया गया। आरोपी द्वारा अपने दूसरे कारण पृच्छा के आरोप सं0 3 में उल्लेख किया गया है कि श्री हंसराज सिंह,से0नि0 कार्यापालक अभियंता,जलसंसाधन विभाग को पेंशन मद की राशि उपादान मद की राशि के भुगतान के बाद की तिथि में की गयी है। अत: पेंशन के लिए प्राप्त प्राधिकार पत्र को पारित करने के पूर्व आरोपी द्वारा इसकी सघन जॉच एवं सत्यापन करना चाहिए थी जो आरोपी द्वारा नही किया गया जिसके फलस्वरूप मो0 13,23,737.00 (तेरह लाख तैइस हजार सात सौ सैतीस)रूपया की फर्जी भुगतान किया गया।

आरोप सं0-04- इस संबध में तथ्यात्मक एवं विस्तृत जॉच प्रतिवेदन पूर्व में दिया जा चुका है। आरोपी के द्वारा प्राधिकार पत्रों का सत्यापन समुचित रूप से नहीं कराने के कारण 4,53069.00 रूपये का फर्जी भुगतान हुआ। अत: आरोपी स्पष्ट रूप से दोषी है।

आरोप सं0-5 पूर्व में तथ्यात्मक एवं विस्तृत प्रतिवेदन दिया जा चुका है। 2,50000.00(दो लाख पचास हजार) रूपये के उपादान प्राधिकार पत्र पर_कटिग एवं ओभर रांइटिग रहने के वाबजूद आरोपी द्वारा इसकी गहन जॉच एवं सत्यापन नहीं किया गया। जिसके कारण फर्जी भुगतान हुआ महालेखाकार,बिहार द्वारा इसे फर्जी करार दिया गया है। इसके अलावा इस प्राधिकार पत्र पर हाथ से लिखा गया है कि राजेश कुमार इस विपत्र की राशि प्राप्त करने के बाद आदि राशि अपने छोटे भाई श्री राकेश कुमार को दे देगे। हाथ से इस तरह की अभियुक्ति अंकित करना प्राधिकार पत्र की प्रामणिकता को संदिग्ध बना देता है। प्राधिकार पत्र का सत्यापन कराना आवश्यक था जो नही कराया गया।

इस प्रकार उक्त विवेचना से स्पष्ट है कि आरोपी के विरूद्व लगाये गये सभी आरोप प्रमाणित पाये गये है। कोषागार द्वारा अवैध रूप से निकासी में इनकी सहभागिता परिलक्षित होती है। यदि ये अपने कर्तव्य के प्रति सचेत एवं जागरूक रहते तो इतनी बड़ी राशि कोषागार से निकासी संभव नहीं होती।

अत: उपरोक्त आरोप इतने गंभीर है कि इन्हें यदि कठोरतम दंड नहीं दिया जाता है तो इस तरह के ककृत्य को रोकना संभव नहीं है।

बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली के नियम 165के तहत स्पष्ट किया गया है कि ''कपट और बेइमानी,लगातार और जानबूझकर की जाने वाली उपेक्षा और नैतिक कलंक के सभी अपराधों का समुचित दंड ''बरखास्तगी'' है।

अत: सभी तथ्यों पर सम्यक विचारोपरांत श्री उमाशंकर प्रसाद,सहायक लेखापाल को कठोरतम दंड देने के सिवाय कोई विकल्प नहीं बचता है।

अत: सम्यक् विचारोंपरांत मैं संजय कुमार अग्रवाल,भा0प्र0 से0,जिला पदाधिकारी एवं समाहर्ता,जहानाबाद श्री उमाशंकर प्रसाद,सहायक लेखापाल ,जिला कोषागार ,जहानाबाद को बिहार सरकारी सेवक वर्गीकरण (नियंत्रण एवं अपील) के नियमावली,2005 के नियम 14 (X) के तहत बर्खास्त (DISMISS) करता हूँ ।

श्री प्रसाद से संबधित पूर्ण विवरण निम्न प्रकार है:-

नाम:-	श्री उमाशंकर प्रसाद
पिता का नाम:-	
पदनाम:-	सहायक लेखापाल (जिला कोषागार कार्या0,ज0बाद)
जन्मतिथि:-	06-08-1951
नियुक्ति की तिथि:-	12-12-1973
वेतनमान:-	5000-150-8000
वर्तमान पता:-	न्यु कॉलनी डेल्हा, गया ।
स्थायी पता:-	129 (बी) राजेन्द्र पथ तेल बिगहा, पोस्ट आर.एस.गया ।

जिला पदाधिकारी,
जहानाबाद।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 50-571+10-डी0टी0पी0।